उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

395266

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	लखनऊ
3.	ग्राम	:	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	खसरा नं० 757
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.126 हेक्टेअर

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

395267

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	सुल्तानपुर रोड से 500m मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 6,53,562/-
11.	मालियत	:	रु0 2,20,500/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 65,400/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

<u>चौहद्दी खसरा संख्या-757</u>

पूरब : खसरा संख्या-742

पश्चिम : खसरा संख्या-756

उत्तर : खसरा संख्या-742

दक्षिण : खसरा संख्या-758, 759

06AA 354592

प्रथम पक्ष की संख्या–01		द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शिवचरन पुत्र पौधू, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	वीरेन्द्र पुत्र सियाराम कोरी, निवासी–मिर्जापुर, गिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

शिवचरन   वीरेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 605232

25 JUL

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख शिवचरन पुत्र पौषु, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् वीरेन्द्र पुत्र सियाराम कोरी, निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता मालिक, काबिल व काबिज आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 757 रकबा 0.690 हेक्टेअर, मे से रकबा 0.126

शिवचरन वीरेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हेक्टेअर, स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो कि विक्रेता ने बजरिये पंजीकृत बैनामा दिनांकित 10.01.2005 को श्री बिशुन कुमार पुत्र गुलाब से क्रय किया है, जो उपनिबन्धक कार्यालय लखनऊ में पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–4774, पृष्ठ 219/242 पर क्रमांक 168 पर दिनांक 10.01.2005 को पंजीकृत है। जिसका अमलदरामद खतौनी संख्या–00367 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम नहीं हुआ है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 605231

विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है। कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

605235

हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 6,53,562/- (रुपया छः लाख तिरपन हजार पाँच सौ बासठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त मे दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 MAY 2007

है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को वसूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बिक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अकमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सरकिल रेट रू0 17,50,000/-- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, विक्रीत रकबा 0.126 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,20,500/-- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 65,400/-- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग,

राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 757 रकबा 0.690 हेक्टेअर, में से रकबा 0.126 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 6,53,562/- (रुपया छः लाख तिरपन हजार पाँच सौ बासठ मात्र) द्वारा चेक संख्या- 585537 दिनांकित 03.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा- हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

शिवचरन

[signature]

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु० 6,53,562/– (रुपया छः लाख तिरपन हजार पाँच सौ बासठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोटः– चेक संख्या पृष्ठ–13 पर काले पेन से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांकः 03.07.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्सार हुसैन)

एडवोकेट

विक्रय पत्र

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
653,362.30	251,000.00	5,030.00	20	5,050.00	1,000

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा अन्य

निवासी स्थायी [illegible] लखनऊ

अस्थायी पता [illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/7/2007 समय 4:43PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

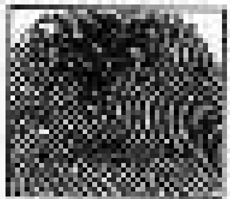

एस.एस.पाल

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

3/7/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु [illegible] प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा अन्य

निवासी [illegible] लखनऊ

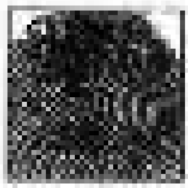

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

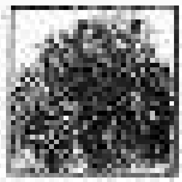

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुशील मिश्रा

पुत्र श्री [illegible]

पेशा वकालत

निवासी 288 [illegible] नगर लखनऊ

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible] लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

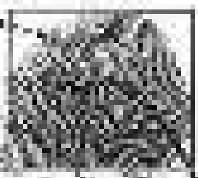

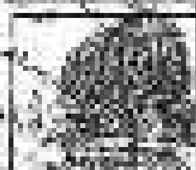

एस.एस.पाल

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

3/7/2007

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा—32 ए के अन्तर्गत हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :— [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

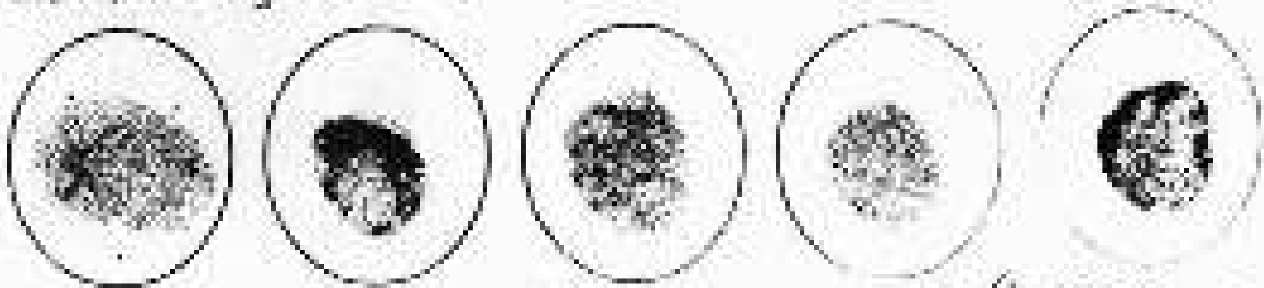

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / क्रेता नाम व पता :— [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

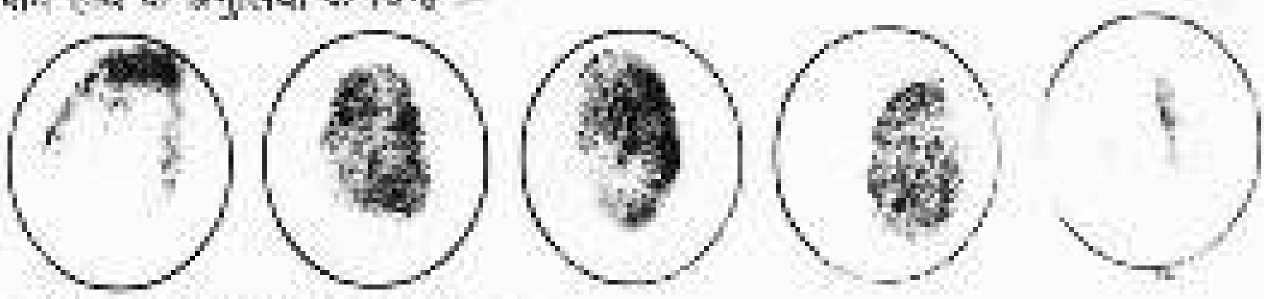

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

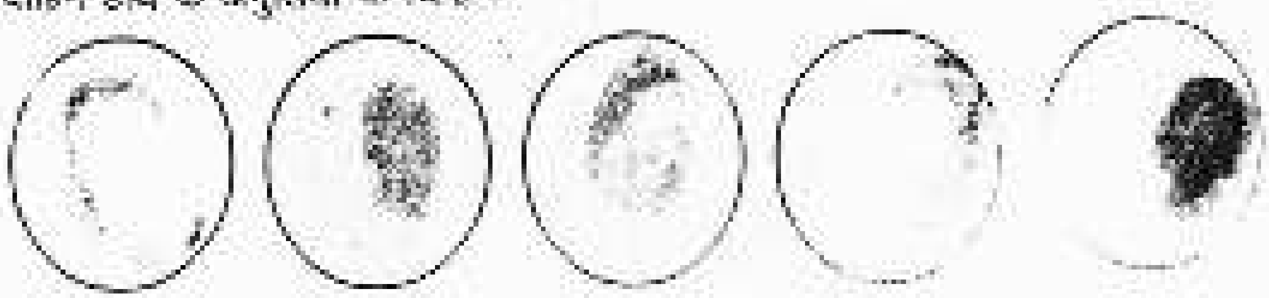

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

Registration No: [illegible] Year: 2007 Book No: 1

D101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

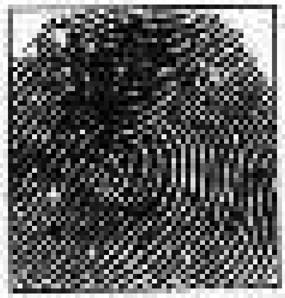

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या : 757

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित रेखांकित सम्पत्तियों का विवरण

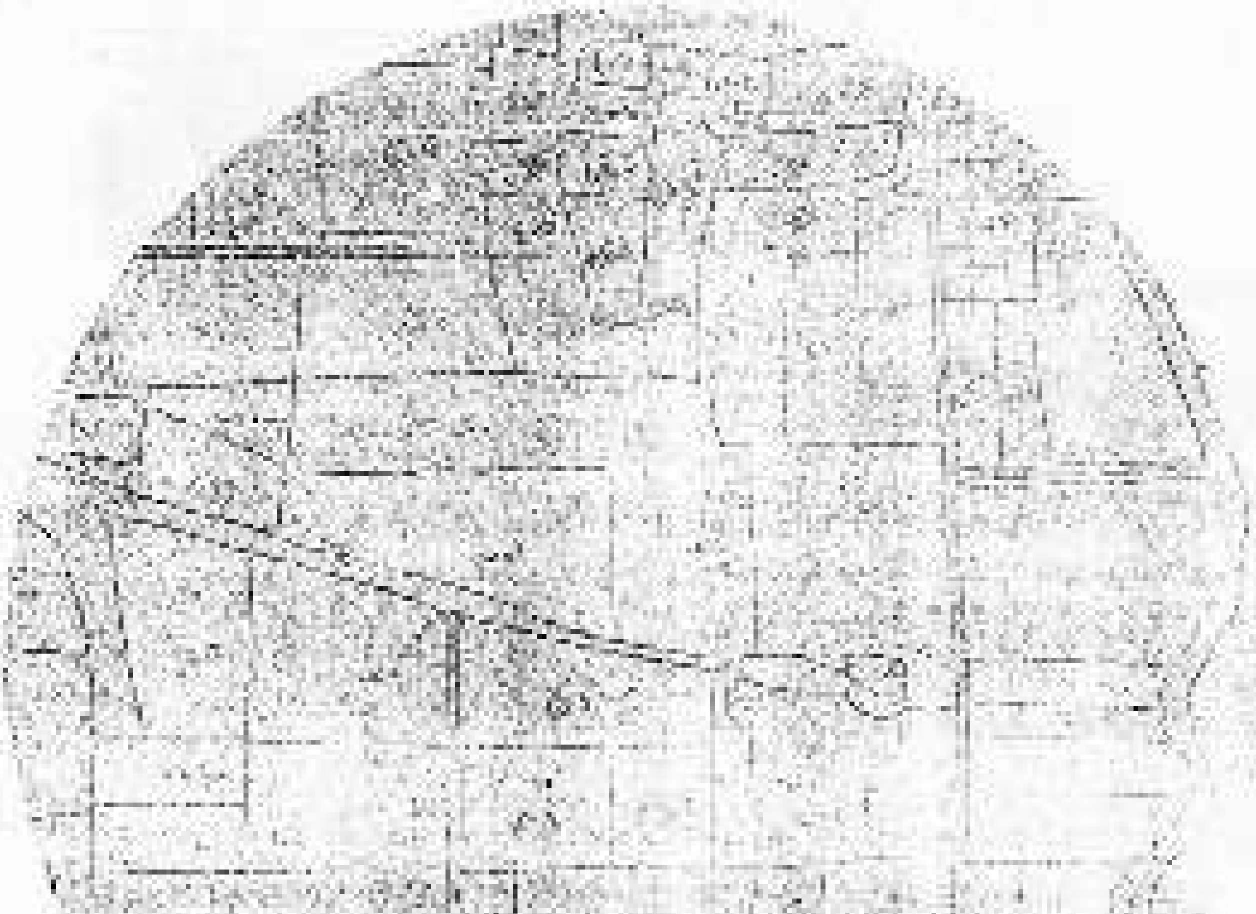

[illegible] [illegible]

क्रेता

Registration No. 6390 Year: 2007 Book No. 1

0201 कौशेन्द्र

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आज दिनांक 03/07/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6743

पृष्ठ सं 37 से 68 पर क्रमांक 6390

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एस.पाल

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

03/07/2007